रजिस्टर्ड नं०-ए० डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 7 जून, 2014 ई० (ज्येष्ठ 17, 1936 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

01 फरवरी, 2014 ई०

सं0 2810/एल0बी0ए0/उपविधि/2014–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) तहत जिला पंचायत, श्रावस्ती द्वारा जनपद श्रावस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित दुकानों को नियन्त्रित करने हेतु जिला पंचायत श्रावस्ती ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न नई उपविधि निर्मित की है। उक्त अधिनियम की धारा 242 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपविधि के प्रस्ताव की पुष्टि की जाती है, जो राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1–यह उपिधियाँ जिला पंचायत, श्रावस्ती के व्यवसाय की उपविधियाँ कहलायेंगी।

2–यह उपविधियाँ गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

3–यह उपविधियाँ जिला श्रावस्ती के समस्त ग्रामीण क्षेत्र पर लागू होंगी।

4–ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगा।

5–कोई व्यक्ति जिला पंचायत, श्रावस्ती के क्षेत्र में बिना जिला पंचायत श्रावस्ती का लाइसेन्स प्राप्त किए किसी भी प्रकार का व्यवसाय/दुकानात नहीं करेगा।

6–अपर मुख्य अधिकारी, लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

7–प्रत्येक लाइसेन्स की समय सीमा एक वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) तक होगा।

8–अपर मुख्य अधिकरी, जिला पंचायत, श्रावस्ती को अधिकार होगा कि वह किसी भी कारण के दृष्टिगत किसी भी लाइसेन्स को निरस्त कर सकते हैं।

9–लाइसेन्स का नवीनीकरण प्रत्येक दशा में 30 अप्रैल तक करना होगा। 30 अप्रैल के बाद लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने पर रु0 15 विलम्ब शुल्क प्रतिमाह की दर से देय होगा तथा समस्त प्रकार की फैक्ट्रियों पर अप्रैल के बाद 01 मई से रु0 100 विलम्ब शुल्क देय होगा एवं पॉलीशर पर रु0 50 विलम्ब शुल्क देय होगा।

10–कोई भी व्यवसाय करने से 15 दिन पहले जिला पंचायत से लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा।

11–संक्रामक बिमारी से ग्रसित व्यक्ति खाद्य पदार्थ की दुकानात/व्यवसाय नहीं करेगा।

12–खाद्य पदार्थों को ढक कर रखा जायेगा जिससे कि धूल के कण एवं हानिकारक जीव न बैठने पायें।

13–लाइसेन्स शुलक की उगाही जिला पंचायत के कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदारी द्वारा की जायेगी।

सत्यापित प्रति
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत श्रावस्ती

14–ठेके की स्वीकृति जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा दी जायेगी।

15–लाइसेन्सधारी द्वारा उपविधियों की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा लाइसेन्स को स्थगित या निरस्त किया जा सकता है। अपील करने पर अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

16–लाइसेन्स का प्रार्थना-पत्र अपर मुख्य अधिकारी को दिया जायेगा :

लाइसेन्स शुल्क

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम/प्रकृति	लाइसेन्स शुल्क की दर
1	2	3
		रु0
1	कपड़े की दुकान	250
2	कपड़े की फेरी दुकान	75
3	परचून की दुकान	125
4	कपड़ा, परचून आदि की सम्मिलित दुकान	150
5	गल्ले किराने की बड़ी दुकान जिसमें गल्ला 01 कुन्तल से अधिक हो	250
6	सोने, चाँदी के आभूषण बनाने की दुकान	250
7	सोने, चाँदी की बड़ी दुकान	500
8	मेडिकल स्टोर	250
9	मेडिकल प्रैक्टिशनर/हास्पिटल	250
10	प्रत्येक होटल, मिठाई की दुकान	150
11	लोहे की दुकान	250
12	चाय, पान की सम्मिलित दुकान	100
13	घी डाल्डा व तेल की दुकान	250
14	गल्ले या किराने की फुटकर दुकान	175
15	जनरल स्टोर या बिसातखाने की दुकान/रेडीमेड	150
16	बिसातखाने, फेरी की दुकान	50
17	ईंधन, जलाने वाले कोयले की दुकान	150
18	जूता, चप्पल बनाने की दुकान	100
19	जूता, चप्पल बेचने की दुकान	150
20	बिना आरा मशीन के लकड़ी की दुकान	175
21	फर्नीचर बनाने का कारखाना	250
22	फल की दुकान	100
23	सब्जी की स्थायी दुकान	75
24	सब्जी की फुटकर फेरी की दुकान	50
25	इलेक्ट्रानिक सामान की दुकान	175
26	घड़ी, रेडियो, टेपरिकार्डर, टी0बी0, मरम्मत की दुकान	100
27	घड़ी, रेडियो या बिजली के सामान बेचने की दुकान	250

सत्यापित प्रति

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत श्रावस्ती

1	2	3
		रु०
28	चूड़ी बेचने की दुकान	100
29	स्टेशनरी की दुकान	150
30	आटो स्पेयर की दुकान	250
31	साइकिल या उसके पार्ट्स बेचने की दुकान	250
32	मोटर, ट्रक, बस, जीप, कार आदि के मरम्मत की दुकान	250
33	मोटर साइकिल आदि के मरम्मत की दुकान	100
34	ट्रैक्टर मरम्मत की दुकान	250
35	पम्प या डायनमों की दुकान	100
36	टायर, ट्यूब मरम्मत की दुकान	100
37	इंजीनियर वर्कशाप	250
38	कबाड़ी की दुकान	150
39	रासायनिक खाद की दुकान	250
40	कृषि बीज एवं कृषि दवाइयों की दुकान	250
41	बर्तन की दुकान	175
42	बर्तन फेरी की दुकान	125
43	सीमेन्ट/सरिया की दुकान	250
44	सीमेन्ट के समान जैसे नाद, पाइप, जाली बनाने या बेचने की दुकान	175
45	मोरम, बालू एवं चूना बेचने की दुकान	250
46	टिम्बर व लोहे के बक्से की दुकान	250
47	गल्ले की आढ़त	500
48	लोहे की अलमारी, ट्राली, थ्रेसर आदि बनाने का व्यवसाय	375
49	गैस एजेन्सी/कुकिंग	1,000
50	पॉवर लूम	250
51	डीजल, मोबिल की फुटकर दुकान	250
52	कपड़ा, सिलाई की दुकान	100
53	नल/बोरिंग की दुकान	250
54	बैट्री मरम्मत एवं बेचने की दुकान	250
55	पम्पिंग सेट, किसी प्रकार के इंजन की दुकान	500
56	वार्निश पेण्ट आदि बेचने की दुकान	250
57	मिट्टी तेल की दुकान	250
58	सरकारी सस्ता गल्ला व मिट्टी तेल की दुकान	250
59	शराब बिक्री की दुकान	1,000
60	टेन्ट हाउस की दुकान	250

सत्यापित प्रति

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत श्रावस्ती

1	2	3
		रु0
61	लाण्ड्री	125
62	हेयर शैलून की स्थाई दुकान	100
63	वीडियोग्राफी एवं फोटो खींचने की दुकान	125
64	पेया पदार्थ जेसे लस्सी शर्बत आदि की दुकान	100
65	बिस्कुट, ब्रेड आदि बेचने की दुकान	100
66	वस्त्र रंगाई/छपाई की दुकान	150
67	डेन्टिंग व पेन्टिंग की दुकान	150
68	प्रिटिंग प्रेस	250
69	लोहे, गिलट या विस्कुट के आभूषणों आदि की दुकान	125
70	रस्सी या रूंई की दुकान	150
71	बास, बल्ली लट्ठा के बिक्रय/क्रय की दुकान	175
72	अण्डे बेचने की दुकान	125
73	बेल्डिंग की दुकान	250
74	खोया उत्पादक	175
75	क्राकरी की दुकान	100
76	खोया दूध विक्रेता/डेरी की दुकान	250
77	आतिशबाजी बनाने या बेचने की दुकान	175
78	तम्बाकू व्यवसाय की दुकान	250
79	सिनेमा हाल स्थाई	2500
80	सिनेमा हाल अस्थाई	1250
81	चारा काटने के मशीन की दुकान आदि	500
82	पेट्रोल पम्प	2500
83	केरोसिन आयल/आयल डिपो	1000
84	आटा चक्की	100
85	स्पेलर	100
86	पॉलेसर	500
87	कोल्हू बड़ा 6 वोल्ट/8 वोल्ट	250
88	होटल/लॉज	1500
89	राइस मिल	2500
90	चीनी मिल	5000
91	ह्यूम पाइप फैक्ट्री	1500
92	दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन	1000
93	मेन्था ऑयल पिपरमेन्ट टंकी	250

सत्यापित प्रति

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत श्रावस्ती

1	2	3
		रु0
94	आर0सी0सी0 ईंट उद्योग	1500
95	ट्रेक्टर एजेन्सी	2500
96	ट्रेक्टर डीलर	1250
97	टू व्हीलर एजेन्सी	1500
98	टू व्हीलर डीलर	1000
99	मोबाइल मरम्मत/बिक्रेता की दुकान	250
100	गोस्त बिक्रेता (बकरा. बकरी, मुर्गा, मछली) की दुकान	250
101	बेकरी	250
102	पोल्ट्री फार्म	500
103	आईस फैक्ट्री	500
104	कोल्ड स्टोर	2500
105	मिनी लकडी चीरने की मशीन	500
106	आरा मशीन	1000
107	दाल दरने की मशीन	500
108	गन्ना कोल्हू/क्रेशर	500
109	आईस मिनी प्लान्ट	500
110	कगज गत्ता बनाने का कारखाना	500
111	बोन मिल्स/हड्डी चूरा से खाद बनाने की फ़ैक्ट्री	2500
112	मिनी राइस मिल	1000
113	धर्म कांटा तौल केन्द्र	500
114	सर्कस अस्थाई	1250
115	मिनरल वाटर प्लांट	1000
116	छोटे अन्य व्यवसाय	150
117	अन्य फैक्ट्री	1250

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 संशोधित अधिनियम, 1994 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेशि दिया जाता है कि उपविधि का उल्लंघन करने वाला अर्थदण्ड का भागी होगा, जो रु0 1000.00 तक हो सकता है एवं यदि यह उल्लंघन करना जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड से दण्डित होगा जो क्रमशः दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में दोष सिद्ध हो जाये कि वह अपराध करता रहा है, रु0 550.00 प्रतिदिन होगा अथवा यह अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने की स्थिति में तीन माह तक के कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

सत्यापित प्रति

डा0 अशोक कुमार वर्मा,
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत श्रावस्ती